34 सर्वे एवं छापों के दौरान करदाताओं के अधिकार एवं कर्तव्य

Right of Assessee during the Survey

भारत मे आयकर की व्यवस्था, मुख्यतयः स्वतः कर निर्धारण (Self Assessment) प्रणाली पर आधारित है, अर्थात् सामान्यतया करदाता वर्ष के दौरान होने वाली आय पर, स्वयं आयकर के नियमों के तहत देय आयकर की गणना कर, भुगतान आयकर विभाग में करता है। तत्पश्चात आय एवं भुगतान किए गए कर की जानकारी आयकर विभाग को, रिटर्न के माध्यम से देता है। आयकर अधिकारी इस प्रकार प्राप्त रिटर्न में से कुछ रिटर्न का चयन कर, उसकी जांच करतें है। प्रायः आयकर रिटर्न, सही रूप में, कर सलाहानुसार या चार्टेड एकाउण्टेंड के माध्यम से दाखिल किये जाने पर त्रुटियों की संभावना नही रहती है।

सभी पाठकों को सलाह है कि वे यदि रिटर्न दाखिल करने के दायरे में आतें हैं तो प्रतिवर्ष नियत तिथि के पूर्व स्वयं या किसी कर सलाहकार के माध्यम से देय आयकर की गणना कर उसका भुगतान कर समय पर रिटर्न दाखिल करना सुनिश्चित करें तथा अपना पूंजी खाता बनाना ना भूंले, ताकि भविष्य में आयकर विभाग द्वारा किए जाने वाले सर्वे के दौरान, उनके द्वारा चाही गई जानकारी, निर्भयता, पूर्वक दे सकें।

आयकर के सर्वे निम्न तीन प्रकार के होतें हैं :

(1) सामान्य सर्वे :

धारा 133B के तहत नए करदाता बनाने के लिए घर–घर या दूकानों में जाकर फार्म नं. 45D में जानकारी एकत्रित की जाती है। जो पहले ही रिटर्न दाखिल कर चुके हैं उन्हे केंवल छः कालम में नाम, पता, पैन नं. आदि की जानकारी देनी होती है।

सर्वे करने वाले आयकर अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह किसी व्यवसायिक परिसर में प्रवेश कर उपस्थित व्यक्ति से फार्म नं. 45D में भरने को कहे, परंतु वह खातों की जांच हेतु न तो मांग कर सकता है, और ना ही जब्त कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होने के बावजूद फार्म नं. 45D में चाही गई जानकारी नहीं दे पाता है, तो उसे धारा 272AA के तहत 1,000 रू. की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

करदाता को यह अधिकार रहता है कि वह सर्वे करने वाले अधिकारी का परिचय जान सकें और यदि चाहे तो संविधान की धारा 22(1) के तहत अपने कानूनी कर सलाहकार से संपर्क कर, सर्वे की कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उसे उपस्थित रहने के लिए कह सकता है।

(2) विवाह पार्टी आदि पर किए गए खर्चों का सर्वे :

धारा 133A(5) के तहत किसी व्यक्ति द्वारा विवाह या अन्य पार्टियों में किए गए, खर्चों के सबंध में जानकारी एकत्रित करने हेतु सर्वे किया जाता है। आयकर अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह करदाता या अन्य व्यक्ति से, समारोह में होने वाले खर्च के संबध में जानकारी प्राप्त करने हेतु पूछताछ कर सके। तथा बिना भय या लालच या कोई वचन देकर बयान दर्ज कर सकता है। करदाता को यह अधिकार होगा कि वह दर्ज किए गए बयान की प्रति आयकर अधिकारी से प्राप्त कर सके।

(3) विशिष्ठ सर्वे :

धारा 133A (1) के तहत किसी करदाता के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का विस्तृत सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के तहत आयकर अधिकारी को सामान्य व्यवसाय के समय (Business Hours) केवल व्यवसायी/ पेशे के प्रतिष्ठानों में ही प्रवेश का अधिकार है। परन्तु सर्वे चालू होने के बाद, सर्वे सामान्य व्यवसाय समय (Business Hours) के समाप्त होने के बावजूद, चालू रह सकता है। अन्य स्थान जहां पर खाते, रोकड़ या स्टॉक रहने की संभावना है वहां पर सर्वे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले प्रारम्भ हो सकता है तथा सूर्यास्त के बाद तक जारी रह सकता है। आयकर अधिकारी रोकड़ स्टॉक या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को जब्त या हटा नही सकतें परन्तु इसका सत्यापन कर सकतें हैं। सर्वे के दौरान परिसर को सील नही किया जा सकता है।

करदाताओं का कर्तव्य है कि आयकर अधिकारी को सर्वे के दौरान खातें की जांच एवं अन्य उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें। सहयोग प्रदान न करने की स्थिति में 272A(1) के तहत 10,000 रू. की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। सर्वे के दौरान करदाता चाहे तो अपनी आय घोषित कर सकता है तथा उस पर पेनाल्टी लगाई जा या नही, यह प्रकरण की प्रकृति पर निर्भर करता है।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:37 PM